न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
71/2015/प्रा.पत्र/2015	17.08.2015	14.09.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .....प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री कालू राम सैनी पुत्र श्री मिश्री लाल सैनी उम्र 25 साल जाति माली निवासी बडा बांस बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक मैसर्स सैनी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक
2–मैसर्स सैनी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक
3–प्रो. श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा निवासी 5, रायपुरा गांव बाउा पदमपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जयसिंहपुरा भूरिया तह. सांगानेर जिला जयपुर
4–मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जयसिंहपुरा भूरिया तह. सांगानेर जिला जयपुर
..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: **दिनांक 14.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.05.2015 को समय 12:00 पीएम पर मैसर्स सैनी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री कालू राम सैनी पुत्र श्री मिश्री लाल सैनी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कालू राम सैनी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगने पर नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में डीप फ्रीज के अन्दर 4 लीटर पैक के 4 पैकेट पैक्ड अवस्था में **मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (हारमोनी ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कालू राम सैनी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री कालू राम सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (हारमोनी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एच ए–0023 एवं पैकिंग की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 5/2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, एक किलो 200 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलो 200 ग्राम **मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (हारमोनी ब्राण्ड)** को बराबर–बराबर चार भागों में विभाजित कर चार साफ व सूखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 24–24 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाइट कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1007 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1007 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री कालू राम सैनी पुत्र श्री मिश्री लाल सैनी मैसर्स सैनी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जयसिंहपुरा भूरिया तह. सांगानेर जिला जयपुर का वारन्टी बिल सं. 12 दिनांक 18.04.2015 प्रस्तुत कर उपरोक्त मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (हारमोनी ब्राण्ड) क्रय करना बतया। आवेदक द्वारा मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जयसिंहपुरा भूरिया तह. सांगानेर जिला जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर प्रो. श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा ने पत्र प्रेषित कर बतौर सबूत खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं वैट रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक सूचना चाहे जाने के उपरान्त श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जयसिंहपुरा भूरिया तह. सांगानेर जिला जयपुर के प्रो0 का नाम श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/2176 दिनांक 03.07.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./334/एक्ट /2015/351 दिनांक 26.05.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (हारमोनी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 10.12.2015 को श्री मुजम्मील सारन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (हारमोनी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (हारमोनी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0